न्यायालय म0प्र0राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कं:- /वि0/09 विविध 1201-II/09

152

सुगनबाई विधवा अम्बाराम बलाई उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बेहलोला तहसील खाचरोद जिला उज्जैन

...............आवेदक

विरूद्ध

1. प्रकाशचन्द्र बोथरा तहसीलदार महोदय खाचरोद जिला उज्जैन
2. केलाश पिता थावर निवासी ग्राम बेहलोला तहसील खाचरोद जिला उज्जैन (म0प्र0)

...............अनावेदकगण

श्री आबिद कुरैशी, अभिभाषक द्वारा केन्द्र पर प्रस्तुत

26/8/09

विषयः–प्रार्थना पत्र वास्ते अनावेदकगण के विरूद्ध माननीय न्यायालयके आदेश की अवमानना बावत्

माननीय महोदय

आवेदिका की और से निम्नानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थिया ने एक निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खाचरोद के प्रकरण कमांक 50/अ/07.08 में पारित आदेश दिनांक 05.09.08 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में एक निगरानी प्रस्तुत की है जो प्रकरण कमांक 1111/08 पर दर्ज होकर दिनांक 10.09.08 को माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी ग्राहय करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के प्रश्नाधीन आदेश के कियान्वयन को स्थगित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश के सम्बध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया जिसकी प्रति अधीनस्थ तेहसीलदार महोदय खाचरोद के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई व उनको अवगत करा दिया गया है।

1. यह कि उसके बाद अधीनस्थ तेहसीलदार महोदय को माननीय न्यायालय के आदेश का पूर्णतः पालन करना चाहिए परन्तु इसके उपरांत भी अनावेदक कमांक एक के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दिनांक 16.07.09 को आदेश पारित करते हुए सेवा भूमि जो कि प्रार्थिया के कब्जे में थी व आवावेदक ककमांक दो से मिलकर खुले रूप् से माननीय न्यायालय के आदेश को न मानकर माननीय न्यायालय के आदेश का कन्टेम्प ऑफ कोर्ट किया गया है जिसके लिए अनावेदकगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाना आवश्यक है अन्यथा माननीय न्यायालय के आदेश का हर व्यक्ति अल्लंघन करेगा इस प्रार से व माननीय न्यायालय के आदेश का महत्व ही समाप्त किया जा रहा है, व खुले रूप से अवहेलना की जा रही है तेहसीलदार महोदय द्वारा जो आदेश पारित किया है जिसकी प्रति इस आवेदन के सांथ संलग्न प्रस्तुत की जा रही है।

सुगनबाई

विविध 120-I/09 उज्जैन

20/4/18	आवेदक द्वारा श्री एस. आर. यादव अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। आवेदक द्वारा प्रकरण नहीं चलाने के अनुरोध पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	Not Press Not pres Advocate

[कृ. प. उ.